प्रेस-विज्ञप्ति

दीव में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त

दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने के दिये आदेश

दीव 29 जनवरी, 2020 : दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133 के तहत आदेश जारी कर दीव में गंदगी फैलाने वालों के विरूद्ध अर्थदंड का विधान किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि कई लोग सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में पॉलिथीन, प्लास्टिक, स्ट्रे कैन, बोतलों और कुडे आदि को खुले में फैंकते हैं, जिससे मच्छर पनपते हैं। इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, प्लेग, हैजा आदि रोग फैलने की संभावना रहती है, जो आमलोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा भी पाया गया है कि कई लोगों ने घर-निर्माण की सामग्री और मलबों को नालों, तालाबों, सड़क के किनारे जमा किया है, इससे एक ओर जहां पानी के बहाव में बाधा आती है, वहीं दूसरी ओर लोगों एवं वाहनों के आवागमन में भी मुश्किलें हो रही हैं।

दीव प्रशासन ने इस पर पूर्ण लगाम लगाने के लिए गंदगी फैलाने और मलबा फैंकने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाये जाने के प्रावधान किया है। आदेश के अनुसार पहली बार स्वच्छता का उल्लंघन करने पर दोषी को रू.200 का आर्थिक दंड दिया जाएगा, जबकि इसकी पुनरावृत्ति होने पर रू.1000 का आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान है।

जिला समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने इसके लिए नगर पालिका के मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को उचित कदम उठाते हुए दोषियों की पहचान कर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। अब जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, तालाबों, सड़क या निजी जगहों पर कुड़ा-कचड़ा, पॉलिथीन, प्लास्टिक, स्ट्रे कैनकैन मलबे आदि को फैंकता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। सभी दुकान संचालकों, दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वे अपने आस-पास के जगहों से कुड़ा-कचड़ा हटाकर उसे साफ रखें। जो भी स्वच्छता को प्रभावित करते हुए पाया गया उन लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला समाहर्ता ने समस्त नामित अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी पाया गया तो वे उन जगहों को चिन्हित कर वहां से तुरंत कुड़ा-कचड़ा और गंदगी फैलाने वाली वस्तुओं को हटा दें। इस आदेश के उल्लंघन करने वालों को आर्थिक जुर्माने से दंडित किया जाएगा।